विचार बिन्दु

संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी-कभी मान लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। –जयशंकर प्रसाद

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत में एक बार फिर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा चर्चा में है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। थोड़े-थोड़े अंतराल पर ऐसा होता रहता है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। भारत तेज़ी से विकसित होता हुआ लोकतंत्र है और विकास की हर राह में ऐसे मुकाम आते हैं। इन दिनों यह मुद्दा एक स्टैण्डअप कॉमेडियन की प्रस्तुति को लेकर चर्चा में है। इसके अलावा एक और विवाद एक माननीय सांसद के एक ऐतिहासिक चरित्र पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी को लेकर भी हो रहा है। हम सब यह मानते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के एकाधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, उस पर भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी राय हो सकती है, और हरेक अपनी राय को अभिव्यक्त करने को व्याकुल हो सकता है। असल में असहमति तो लोकतंत्र का आधार है। सामान्यत: तो माना जाता है कि राय का, विचार का जवाब विचार से दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार हमारे वैचारिक आग्रह इतने प्रबल हो उठते हैं कि हम अपने से भिन्न किसी भी सोच को सहन कर ही नहीं पाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया ख़राब भाषा (गाली गलौच) के रूप में व्यक्त करते हैं और जब ऐसा करने से भी हमारा मन नहीं भरता है तो हम हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। बहुत बार तो यह हिंसा अत्यंत विकराल रूप भी ले लेती है। और यह सब होते-होते बार-बार एक पद सामने आता है – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जिसने कुछ कहा है वह और उसके पक्षधर इसकी दुहाई देते हैं तो जो उसके कहे से असहमत या आहत हैं वे कहते हैं कि अभिव्यक्त की स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती, उसकी भी मर्यादाएं होती हैं। इधर अपने देश में इसी संदर्भ में एक नई किंतु अबूझ अभिव्यक्ति और चलन में आई है – सकारात्मक आलोचना। मैं अब तक नहीं समझ सका हूं कि इसका आशय क्या है?

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) (क) के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार में बोलने, लिखने, छपने, प्रदर्शन करने या किसी अन्य माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकारों में से एक है। परंतु उचित प्रतिबंध असहमति की अभिव्यक्ति को सीमित भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 (2) में उचित प्रतिबंध' लगाने की शक्ति राज्य को दी गई है। ये प्रतिबंध इन आधारों पर लागू किए जा सकते हैं: 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता: राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, 2. राज्य की सुरक्षा: आंतरिक या बाह्यख़तरों से निपटने के लिए, 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के निर्वहन के लिए, 4. सार्वजनिक व्यवस्था: शांति और स्थिरता के लिए, 5. शिष्टाचार या नैतिकता: सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए, 6. अदालत की अवमानना: न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप को रोकने के लिए, 7. मानहानि: व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए और 8. अपराध के लिए उकसावा: हिंसा या अपराध को बढ़ावा देने वाली अभिव्यक्ति पर रोक। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि सन 1950 में अपना संविधान लागू होने के बहुत पहले से भारत में भिन्न मत को मान देने की स्वस्थ परंपरा रही है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं सहिष्णुता को पालती पोसती रही हैं। वायु पुराण की एक अति विख्यात सूक्ति है: मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडेनवंपय:।/ जातौजातौ नवाचारा: नवा वाणी मुखेमुखे....। अर्थात– ''जितने मनुष्य हैं, उतने विचार हैं। एक ही गांव के अंदर अलग-अलग कुएं के पानी का स्वाद अलग-अलग होता है। एक ही संस्कार के लिए अलग-अलग जातियों में अलग-अलग रिवाज होता है। एक ही घटना का बखान हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से करता है। इसमें आश्चर्य करने या बुरा मानने की जरूरत नहीं है।'' लेकिन यह देखना बहुत कष्टप्रद है कि अपनी परंपरा पर गर्व अब केवल कथन में रह गया है। आज तो ऐसा लगता है कि हममें से बहुत सारे लोग जैसे आहत होने के लिए ही तैयार बैठे हैं। किसी ने कहीं भी ऐसा कुछ कह दिया जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता है या जो हमारे प्रतिकूल है, तो हम मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। डॉ पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपने उपन्यास 'नाकोहस' (2016) में इस स्थिति का बहुत सही चित्रण किया है।

हाल में बहुत सारे प्रसंगों में ऐसा देखने का पीडादायी अनुभव हुआ है। यह बात हमारे कष्ट को और अधिक बढ़ाती है कि समकालीन राजनीति जिससे हम उच्चतम आदर्शों की अपेक्षा करते हैं, अपनी आलोचना को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो उठी है। अब तो विश्वास ही नहीं होता है कि आज़ादी के बाद वाले वर्षों में पंडित जवाहर लाल नेहरु जैसे उदार चित्त राजनेता भी इसी देश में हुए थे जो आरके लक्ष्मण जैसे विख्यात कार्टूनिस्ट से यह कह सकते थे कि आप किसी को भी मत बख़्शना, मुझे भी नहीं। आज तो कोई भी नेता किसी भी तरह की –चाहे वह कितनी ही मुलायम अभिव्यक्ति क्यों न हो– उससे क्षुब्ध हो उठता है और कभी सलाह तो कभी धमकी देने लगता है। और नेता तो नेता, उसके (अंध) अनुयायी तो सीधे ही लट्ठ लेकर जा पहुंचते हैं। हाल में कुणाल कामरा वाले प्रकरण में हमने ऐसा ही होते देखा है। पहले तो सम्बद्ध नेता जी ने एक प्रवचन दिया कि आलोचना/कॉमेडी कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद उनके अनुयाइयों ने जाकर उस सभागार को ध्वस्त कर दिया जहां इस कॉमेडियन ने अपना शो किया था। कॉमेडियन को माफ़ी मांगने के लिए लगातार डराया धमकाया जा रहा है। देश के बड़े नेतृत्व ने जो अन्यथा बहुत मुखर रहता है, इस धत्कर्म पर मौन रहना ही उचित समझा है। सोचिये, कॉमेडियन का अपराध क्या था जिसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या आप हम अपने नेताओं से असंतुष्ट नहीं होते हैं? बल्कि यह भी कि जो सत्तासीन हैं वे अपने प्रतिपक्षियों और पूर्वजों से असहमत, असंतुष्ट और बहुत बार उनके प्रति कटु नहीं होते हैं? क्या केवल इसीलिए कि आज वे सत्तारूढ़ हैं उन्हें किसी को डराने-धमकाने और उनके प्रति हिंसक होने का अधिकार मिल जाता है?

आज जो स्थितियां हैं वे हरेक संवेदनशील व्यक्ति को व्यथित और विचलित करने वाली हैं। एक आदर्श स्थिति यह होगी कि जो भी अपनी बात कह रहा है वह संयत तरीके से कहे, उसकी भाषा में शालीनता हो और लहज़ा मुलायम हो। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नहीं करता है -चाहे जो कारण हों उसके- तो आप क्या करेंगे? क्या आप कानून को हाथ में ले लेंगे? उसकी चूक का जवाब आपका विवेक क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए किसी ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे आप सहमत नहीं हैं तो आप प्रमाण व तर्क के साथ उसका खंडन कर दीजिए।

इधर एक नई बात यह चलन में आई है कि किसी भी ऐतिहासिक चरित्र को लेकर हम लड़ने-मरने को उतारू होने लगे हैं। किसी फ़िल्म को लेकर, किसी किताब को लेकर, किसी वक्तव्य को लेकर हम आक्रोशित हो उठते हैं और चाहते हैं कि दूसरा भी वही कहे जो हम उससे कहलवाना चाहते हैं। निश्चय ही बहुत बार कहने वाले की नासमझी या कभी-कभी बदनीयत भी आक्रोश को हवा दे देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और जब हो भी जाए, तो क्या उसका उचित प्रतिकार वक्तव्य से नहीं किया जाना चाहिए? किसी ने आपके आदर्श का ग़लत चित्रण कर दिया, आप तर्क के साथ दूसरा पक्ष सामने ले आएं। लेकिन आज तर्क की बात कोई नहीं करना चाहता। हरेक जैसे ताकत की बात करना और उसी के दम पर अपनी बात मनवाना चाहता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

यहीं यह भी याद कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कुछ ही बरस पहले कुछ साहित्यकारों ने एक प्रसंग विशेष से क्षुब्ध होकर साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए थे। यह कोई बहुत असामान्य बात नहीं थी। अतीत में भी ऐसा हुआ है। और न भी हुआ होता तो अपनी नाराज़गीव्यक्त करना हरेक का अधिकार माना ही जाना चाहिए। लेकिन उस दौर में सत्ता समर्थकों ने इन सम्मानित साहित्यकारों के प्रति जिस अपभाषा का प्रयोग किया उसकी स्मृतियां आज भी व्यथित करती हैं।

आज जो स्थितियां हैं वे हरेक संवेदनशील व्यक्ति को व्यथित और विचलित करने वाली हैं। एक आदर्श स्थिति यह होगी कि जो भी अपनी बात कह रहा है वह संयत तरीके से कहे, उसकी भाषा में शालीनता हो और लहज़ा मुलायम हो। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नहीं करता है –चाहे जो कारण हों उसके– तो आप क्या करेंगे? क्या आप कानून को हाथ में ले लेंगे? उसकी चूक का जवाब आपका विवेक क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए किसी ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे आप सहमत नहीं हैं तो आप प्रमाण व तर्क के साथ उसका खंडन कर दीजिए। आपके पास भी तो अपनी अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में तो हममें से हरेक ही अपनी बात कहने और समाज तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। लेकिन अब स्थितियां यह हो गई हैं कि संवाद के माध्यम सोशल मीडिया को भी हमने भाषिक हिंसा का ठिकाना बना दिया है। असहमति होने पर प्रतिक्रिया ख़राब भाषा में व्यक्त की जाने लगी है।

निश्चय ही ये स्थितियां हमारे विकसित होते हुए लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हैं। इन पर तुरंत नियंत्रण किया जाना चाहिए। यहां मुझे सबसे अधिक अपेक्षा उनसे है जो सत्ता में हैं। वे अगर अपनी सहिष्णुता का स्तर थोड़ा बढ़ा लें और असहमति को भी मान देने लगें तो उनके अनुयायी स्वभावत: तदनुसार बर्ताव करेंगे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होगा। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको अपनी प्रशंसा ही नहीं आलोचना भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो काम करता है अपेक्षाएं उसी से होती हैं, शिकायतें भी। यह कहते हुए मैं आलोचक को भी उसकी ज़िम्मेदारी से बरी नहीं कर रहा हूं। बेशक आलोचना की जाए, लेकिन शालीनता और सद्भावना के साथ। अपने लोकतंत्र को सफल बनाने का दायित्व हम सबका है।

अपना यह संपादकीय लिखते समय मुझे एक अन्य प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सोच से बहुत खुशी हुई है। उनकी टिप्पणियों को इस संपादकीय के संदर्भ में भी पढ़ा जाना चाहिए। माननीय न्यायालय की पीठ ने कहा है, कलाकार, साहित्यकार का अधिकार इस आधार पर ख़त्म नहीं कर सकते कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी लोकप्रिय है। लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचार से होना चाहिए। माननीय पीठ ने यह भी कहा है कि 75 वर्ष पुराना लोकतंत्र इतना कमज़ोर नहीं कि किसी कविता या कॉमेडी से समाज में शत्रुता या घृणा फैले। यह कहना कि किसी कला या स्टैण्डअप कॉमेडी से नफरत फैल सकती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देगा।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

'पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन दायिनी साबित होगा रामजल सेतु'

जवाहर सिंह बेढम

''रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून।।''

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कवि रहीम दास जी के उक्त पंक्तियों को चरितार्थ करने तथा भारत भूमि को सुजलाम् सुफलाम् बनाने और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना की संकल्पना की थी। उन्होंने एक तरफ अकाल की समस्या का समाधान करने तथा दूसरी तरफ बाढ़ के रूप में बिखरी पड़ी जलराशि का समुचित प्रबंधन का सपना देखा। उनका सपना था कि देशभर की नदियां आपस में जुड़े तथा जल की एक-एक बूंद का उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए हो एवं धरती माता की प्यास बुझाने के काम आवे।

हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के भागीरथ माननीय भजनलाल शर्मा जी के अथक प्रयासों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का शिलान्यास 17 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसी के साथ अटल जी का नदियों को आपस में जोड़ने का संकल्प एवं समृद्धि का सपना मूर्त रूप ले रहा है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण होगी जिस तरह पश्चिमी राजस्थान के लिए गंग नहर एवं राजस्थान नहर परियोजना।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से ब्रज, मत्स्यांचल, माळ क्षेत्र, हाड़ौती, ढूढांड तथा मगरा क्षेत्र में कृषि पेयजल तथा उद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जिससे खेती-किसानी, उद्योग, व्यवसाय और पर्यटन को गति मिलेगी एवं स्थानीय निवासियों का पलायन रूकेगा साथ ही नागरिकों का जीवन खुशहाल होगा। इसके साथ ही बाढ और सूखा दोनों समस्याओं का समाधान होगा।

इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों के 2.51 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सकेगी तथा पूर्व से स्थापित 1.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा साथ ही लगभग 03.25 करोड लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना में राजस्थान को कुल 4102.60 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल उपलब्ध होगा। इसमें 522.80 एमसीएम पुनर्चक्रित जल भी शामिल है। इसमें 1744 एमसीएम पेयजल, 205.75 एमसीएम उद्योगों के लिए, 1159.38 एमसीएम जल नए सिंचित क्षेत्र के लिए, 615.43 एमसीएम जल पूर्व निर्मित बांधों में जल अपवर्तन के लिए, 108 एमसीएम जल भू-जल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। शेष 270 एमसीएम जल का उपयोग खराब मानसून के समय में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग लिया जा सकेगा। इस परियोजना से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी मिलेगा। साथ ही गांव में ईको टूरिज्म को बढावा मिलेगा।

इस परियोजना के प्रथम चरण में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज जिसका कि लोकार्पण किया जा चुका है के साथ कूल नदी पर रामगढ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज में संगृहित जल के उपयोग हेतु नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा (एनजीबीआई) लिंक परियोजना के तहत 9416.70 करोड की लागत से नवनेरा बैराज से गलवा बांध होते हुए बीसलपुर व ईसरदा बांध तक जरूरत के अनुसार जल प्रत्यावर्तन के लिए नहर तंत्र, पम्पिंग स्टेशन एवं पाईप लाईन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मेज नदी पर मेज बैराज व बनास नदी पर नीमोद राठौड बैराज बनाया जाएगा। अजमेर व अलवर में कृत्रिम जलाशय बनाए जाऐंगे। ईसरदा व डूंगरी में बांध निर्माण किया जाएगा। बीसलपुर बांध की क्षमता 0.50 मीटर बढाई जाएगी। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध मे जल अपवर्तन लिंक का कार्य तथा इसे आगे बढाते हुए बीसलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपारेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोडे जाने संबंधी कार्य की डीपीआर -जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर को शामिल करते हुए इस परियोजना को वृहद् रूप प्रदान करने के साथ परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी कार्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा कर परियोजना के प्रति राजस्थान के गांव, गरीब, किसान एवं नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी की गंभीरता एवं प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लगभग 100 वर्ष पूर्व जैन मुनी श्री बुद्धिसागर जी महाराज ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि ''एक दिन ऐसा आएेगा जब किराने की दुकान में पानी बिकेगा।'' यह बात आज चरितार्थ हो गयी है जब हम दुकानों से बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं। पानी पारस की तरह है जैसे पारस लोहे को स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है। वैसे ही पानी जहां भी स्पर्श करता है वहां एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म देता है। 100 वर्ष पूर्व बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह द्वारा मरूस्थल में गंग नहर की स्थापना की गई तथा उसके बाद राजस्थान नहर परियोजना की स्थापना से राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र की समृद्धि एवं खुशहाली का दृष्य हम सब देख सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय नदी जोडो परियोजना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, पर्यावरण एवं जल संरक्षण तथा राज्य के सीमित जल संसाधनों के संदर्भ में राज्य के नदी बेसिनों में उपलब्ध जल का पूर्ण और समठा विकास करना अतिआवष्यक समझते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट में राज्य के नदी बेसिनो का विकास फोर वाटर कान्सैप्ट पर करने का निर्णय लिया जिसमें राज्य के रिवर बेसिनो में उपलब्ध जलाधिक के उपयोग तथा एक बेसिन से दूसरे बेसिन में डायवर्जन से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए राजस्थान रिवर बेसिन अथोरिटी का गठन किया गया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में पार्वती और कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल का उपयोग कर पूर्वी राजस्थान के लिए पेयजल और सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की। इसी को आगे बढाते हुए वर्ष 2017-18 में चम्बल बेसिन के पानी को राज्य के अन्य जिलों में पहुंचाने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये। वर्ष 2018-19 के बजट में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए 37 हजार करोड रूपये की लागत वाली ईआरसीपी परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। अंतत: दिनांक 28, जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुऐ। दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसके बाद इस परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया।

राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में पेयजल एवं सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों के साथ मिलकर 'सहयोगी संघवाद' की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। साथ ही जल संरक्षण के लिए कर्म भूमि से मातृ भूमि अभियान, हरियालो राजस्थान अभियान तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों की कान्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से धरती माता की प्यास बुझाने की अभिनव पहल की जा रही है।

रामजल सेतु लिंक (पीकेसी-ईआरसीपी) परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थाई समाधान होगा तथा राजस्थान देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक होगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा राजस्थान को सुजलाम् सुफलाम् बनाने के पुरूषार्थ की परंपरा शुरू कर दी गई है जोकि एक असाधारण घटना है। इससे वर्तमान पीढी ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढियों के लिए भी रामजल सेतु (संषोधित पीकेसी-ईआरसीपी) परियोजना जीवन दायिनी साबित होगी। लेकिन इस परियोजना के क्रियान्वयन में चुनौतियां भी कम नहीं है। अत: खेती किसानी से भली-भांती परिचित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की निम्न पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए अपने दृढ संकल्प को पूरा करना होगा–

''.....हास्य-रूदन में, तूफानों में,
अमर असंख्य बलिदानों में,
......पीडाओं में पलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा....।''

– जवाहर सिंह बेढम,
राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार

राजस्थान दिवस समारोह

राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धता की झलक समेटे है जयपुर

विरासत, विकास और उद्यमशीलता का संगम है जयपुर पिंक सिटी

डॉ. सौम्या गुर्जर

जयपुर पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को समाहित किए हुए है। यहाँ परकोटे के शहर में जयपुर की ऐतिहासिक झलक है तो बाहरी और नए बस रहे जयपुर में प्रदेश के हर अंचल से आए नागरिकों की बसावट से मिनी राजस्थान साकार हो रहा है। राजस्थान दिवस की स्थापना का कार्यक्रम इसी जयपुर शहर में वर्ष प्रतिपदा के मौक़े पर हुआ था।तब ही से जयपुर प्रत्येक राजस्थानी के मान को बढ़ाते हुए सबके सहभाग को सुनिश्चित कर रहा है। जयपुरसिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत धरोहर है, जहाँ हर गली, हर इमारत, और हर त्योहार में संस्कृति की अनमोल झलक मिलती है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत, भव्य महलों और समृद्ध परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जयपुर अब एक आधुनिक और सतत विकासशील शहर के रूप में उभर रहा है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक शान के साथ-साथ शांत और व्यवस्थित जीवनशैली के लिए भी जाना जाता है। तेज़ी से शहरीकरण के बावजूद, जयपुर ने अपनी स्वाभाविक शांति को बनाए रखा है, जो इसे रहने और काम करने के लिए आदर्श स्थान बनाता है। जयपुर केवल विरासत और पर्यटन का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक आंत्रप्रेन्योर शहर भी है। जहाँ प्रदेशभर के युवा उद्यमशीलता के नवाचार कर रहे हैं। यहाँ स्टार्टअप कल्चर तेज़ी से विकसित हो रहा है और शहर देशभर के नए उद्यिमयों को आकर्षित कर रहा है। और जैसे सफल स्टार्टअप्स ने जयपुर से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है। यह दर्शाता है कि जयपुर भविष्य को गढ़ रहा है। हाल ही में जयपुर ने आईफा अवॉर्ड्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की, जिसने इसे एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया। इससे पहले भी कई हिंदी और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह शहर अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के साथ-साथ आधुनिक अवसरों के लिए भी आदर्श स्थान बनता जा रहा है। पर्यटन, जयपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हेरिटेज वॉक, डिजिटल टूर गाइड और सांस्कृतिक उत्सवों को नया स्वरूप दिया जा रहा है। 'छोटी काशी' के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में गणगौर, तीज, दिवाली और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन इसे सांस्कृतिक राजधानी बनाए रखने में सहायक हैं। भविष्य का जयपुर सिर्फ पर्यटन और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वच्छता, हरित ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जीरो वेस्ट सिटी और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाते हुए नगर निगम जयपुर को पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा, जल संरक्षण के लिए अमृत योजना और जलशक्ति अभियान के तहत ऐतिहासिक बावड़ियों और तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जयपुर के समठा विकास के लिए राज्य सरकार व नगर निगम के माध्यम से विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिसके अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं को कौशल विकास लघु उद्यिमता में आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास किया गया इसी के साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास के तहत सर्वाइकल कैंसर का जहाँ नि शुल्क टीकाकरण करके मातृशक्ति का राष्ट्र निर्माण में भूमिका के लिए एक सकारात्मक सार्थक प्रयास किया साथ ही जयपुर की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए योग महोत्सव के माध्यम से लगातार 4 सालों से नगर निगम के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं कि जयपुर स्वस्थ रहेगा तो जयपुर स्वच्छ होगा जयपुर ख़ुशहाल रहेगा इसके साथ ही जयपुर समारोह जैसे विभिन्न आयोजनों से भी यह प्रयास किया गया कि जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को हम और आगे बढ़ा पाएँ और जयपुर पूरे राजस्थान की छवि को देश विदेश तक सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करता रहे। जयपुर का आतिथ्य भाव सदियों से इसकी पहचान रहा है। यही भावना इसे भविष्य में भी आगे ले जाएगी-एक ऐसा शहर जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, लेकिन आधुनिकता को भी गले लगाएगा। आने वाले वर्षों में, जयपुर न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श शहर बन सकता है, जहाँ विरासत, विकास और उद्यमशीलता एक साथ चलते हैं। यही भाव सम्पूर्ण राजस्थान में है और इसी के चलते आज राजस्थान देश के अठाणी राज्यों में शामिल हो देश के विकास को गति देने में अहम भागीदारी निभा रहा है।

डॉ. सौम्या गुर्जर
महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर

राशिफल सोमवार 31 मार्च, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, अश्विनी नक्षत्र दिन 1:45 तक, वैधृति योग दिन 1:56 तक, कौलव करण प्रात: 9:12 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज गणगौर पूजन है। आज तृतीया तिथि का क्षय हुआ है। आज गौरी तृतीया, मनोरथ तृतीया व्रत, मत्स्य जयन्ती, वैधृति पूण्य, मन्वादि है। आज से मु.मास सव्वाल 10 आरम्भ होगी। आज मीठी ईद, ईद-उल फितुर है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:55 तक, शुभ 9:27 से 10:59 तक, चर 2:03 से 3:35 तक, लाभ-अमृत 3:35 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 6:39

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

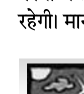
वृष
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि बनी रहेगी। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

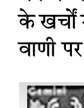
मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

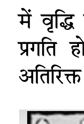
कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

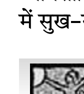
कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आर्थिक परेशानी अभी बनी रहेगी। आज यात्रा टालना ठीक रहेगा।

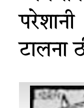
तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

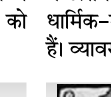
वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

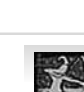
धनु
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

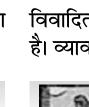
कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

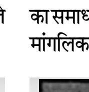
मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।